

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

(A Government of India Enterprise)

CIN No. L40101DL1989GOI038121



उत्तरी क्षेत्र, मुख्यालय, बी-9-कुतब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली 110016-दूरभाष 26532934

Northern Region-1 Headquarters, B-9 Qutab Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Tel:(011) 26532934

Ref:POWERGRID/NR-I/RTI/1776/

Dt.20.06.2019

सेवा में,

श्री मोहन राम जाट

पुत्र श्री मंगा राम जाट, ग्राम व पोस्ट - भांवला,

तहसील - जायल, जिला - नागौर (राजस्थान) -341024

मोबाईल न. 9983009196

विषय :आपके आर टी आई प्रार्थना पत्र दिनांक 29.05.2019 के संदर्भ में |

आपके आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र पत्र दिनांक 29.05.2019 (प्राप्ति दिनांक 02.06.2019) के संदर्भ में आपको निम्न बिंदुवार सूचित किया जाता है :

(1) पोल नं. 36/01 में आपको दिया गया कुल मुआवजे का विवरण निम्न सरणी में दिया गया है और अन्य किसानों का विवरण प्रेषित नहीं किया जा सकता है :

क्र.सं.	कार्य का विवरण	मुआवजा राशी (रूपये)
1	फाउंडेशन	17,775.00
2	टावर इरेक्शन	33,106.00
3	स्ट्रिंगिंग	46,449.00

(2) पावरग्रिड द्वारा क्षतिग्रस्त हुई फसल का आंकलन काश्तकार के साथ सयुक्त रूप से करके व काश्तकार की सहमती से मुआवजा प्रपत्र भरकर राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित करने के पश्चात् ही मुआवजा दिया जाता है | अतः आपको भुगतान किया गया मुआवजा उचित है |

(3) मुआवजा राशी की गणना मौके पर क्षतिग्रस्त हुई फसल के आंकलन के पश्चात् नियमानुसार की जाती है व राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित करने के पश्चात् ही दी जाती है |

(4) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 8 (g) व (j) के अंतर्गत चाही गयी सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं है |

कृ. पृ. उ.

- (5) कार्य समाप्ति के पश्चात् खेत से कंकर, पत्थर इत्यादि हटा दिया गया है | पावरग्रिड द्वारा निर्माण कार्य इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट-2003 की धारा 164 के साथ इंडियन टेलीग्राफ एक्ट-1885 के भाग-3 के तहत किया जाता है | मौके पर तीन बार क्षतिग्रस्त हुई फसल का भुगतान आपको क्र.सं. 1 के अनुसार किया जा चुका है | फाउंडेशन निर्माण कार्य के बाद आप द्वारा फसल खेत में की गयी है |
- (6) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 8 (g) व (j) के अंतर्गत चाही गयी सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं हैं |
- (7) पोल नं. 36/01 में आपको दिए गए कुल मुआवजे का विवरण क्र.सं. 1 में दिया गया है |
- (8) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सेक्शन 8 (g) व (j) के अंतर्गत चाही गयी सूचना उपलब्ध कराना संभव नहीं हैं |

अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

The details of First Appellate Authority

Shri H.K.Mallick, Executive Director(NR-I), First Appellate Authority,
Power Grid Corporation of India Ltd., B-9, Qutab Institutional Area,
Katwaria Sarai, New Delhi-110016 Phone No.011-26560203

कृप्या इसकी पावती भेजे |
धन्यवाद |

for Bhaskar
20/06/2019
भवदीय
[आलोक]

मुख्य महाप्रबंधक (पी .ई .एस .एम)
एवं अधिकृत सी पी आई ओ, पावरग्रिड, उ. क्षे. -1

Copy to: NIO:Chief GM (Vigilance), NR-I: for information, please.

Shri Upendra Singh, Sr. GM(Ajmer): for information and records, please.